राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र. एफ 4(5)आरडी/एनआरजीएस/मा.द./09–10 जयपुर, दिनांक 8 JAN 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मस्टररोल जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन संबंधी निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों को भुगतान में विलम्ब का एक बडा कारण सभी ग्राम पंचायतों में श्रमिक कार्य पखवाडा माह की 1 तारीख और 16 तारीख को प्रारम्भ होना है, जिसके कारण संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता/ तकनीकी सहायक को उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों के कार्यों को एक साथ माप करना होता है।

अतः श्रमिकों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करने हेतु एवं तकनीकी अधिकारियों को माप हेतु पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से 1 मार्च, 2010 से इस प्रकार की व्यवस्था की जावे कि कार्य पखवाडा अलग–अलग ग्राम पंचायतों में अलग–अलग तारीख को प्रारम्भ हो। इस हेतु कार्यक्रम अधिकारी स्तर से प्रति कनिष्ठ अभियन्ताओं/ तकनीकी सहायकों को आवंटित ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर आवंटन के आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के मार्गदर्शन में जारी किये जावें।

पंचायत समिति में दिनांकवार मस्टररोल जारी करने की व्यवस्था का उदाहरण **परिशिष्ट–1** पर तथा दिनांकवार ग्राम पंचायत को जारी होने वाली मस्टररोल का विवरण **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

मस्टररोल जारी करने की इस नई व्यवस्था हेतु रोजगार सहायक, ग्राम सेवक, सरपंचों एवं मेटों को माह फरवरी में सघन प्रशिक्षण दिया जावे।

यह भी पाया गया है कि मस्टररोल के मुख्य पृष्ठ पर 5 श्रमिकों एवं पृष्ठ भाग पर 5 श्रमिकों के नाम लिखकर प्रतिदिन के मेट माप प्रपत्र का समावेश भी मस्टररोल में कर दिये जाने की व्यवस्था से टास्क प्राप्ति में सुधार हुआ है, परन्तु नई मस्टररोल को ए–3 या लीगल साईज के पेपर में मुद्रण कराने से दैनिक कार्य की माप की प्रविष्टि का पर्याप्त स्थान नहीं मिलने से प्रविष्टि करने में कठिनाई होती है, अतः मस्टररोल को ए–3 या लीगल साईज में मुद्रण के स्थान पर 36 से. मी. X 36 से.मी. में ही मुद्रित करवाया जावे ताकि प्रतिदिन का माप एवं श्रमिक समूह के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाने हेतु पर्याप्त स्थान मिल सके।

इस प्रकार पर्याप्त लम्बाई चौडाई साईज में मस्टररोल, कार्यस्थल पुस्तिका एवं पखवाडा की इस नई व्यवस्था से अनेक व्यावहारिक कठिनाईयों से छुटकारा पाया जाकर टास्क प्राप्ति, पारदर्शिता एवं श्रमिकों को निर्धारित समय सीमा में भुगतान प्राप्त हो सकेगा। यह व्यवस्था 01.03.2010 से लागू की जावे।

आप द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही से 31.01.2010 तक सूचित किया जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

7/1/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव,नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. कार्यालय के समस्त अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।
9. समस्त अधिकारी पंचायतीराज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग

परियोजना निदेशक, ईजीएस

HemrajD:\O.P Mathur 30-12-09\O P Mathur.doc

परिशिष्ट–1

दिनांकवार मस्टररोल जारी करने की नयी व्यवस्था (माह मार्च, 2010 से लागू) का उदाहरण

पंचायत समिति का नाम

कुल ग्राम पंचायतें–41(काल्पनिक संख्या)
(GP 1 से GP 41 तक)

कुल कनिष्ठ तकनीकी सहायक -6
(JTA 1 से JTA 6 तक)

JTA- 1	GP-1		GP-2		GP-3		GP-4		GP-5		GP-6		GP-7	
पखवाडा प्रारम्भ होने की दिनांक	1	16	3	18	5	20	7	22	9	24	11	26	4	19
पखवाडा अवधि	1–15	16–31	3–17	दिनांक 18 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	5 -19 तक	दिनांक 20 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	7–21 तारीख तक	दिनांक 22 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	9 -23 तक	दिनांक 24 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	11–25 तक	दिनांक 26 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	4–18 तक	दिनांक 19 से 14 दिन बाद की दिनांक तक
माप की दिनांक	16, 17	1, 2	18, 19	3	20, 21	5, 6	22, 23	7, 8	24,25	9, 10	26, 27	11, 12	19	4

JTA सं. 1 हेतु ब्लॉक मुख्यालय हेतु दिनांक 13,14,15,28,29,30,31

JTA- 2	GP-8		GP-9		GP-10		GP-11		GP-12		GP-13	
पखवाडा प्रारम्भ होने की दिनांक	2	17	4	19	6	21	8	23	10	25	12	27
पखवाडा अवधि	2–16	दिनांक 17 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	4–18	दिनांक 19 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	6–20 तक	दिनांक 21 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	8–22 तारीख तक	दिनांक 23 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	10–24 तक	दिनांक 25 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	12–26 तक	दिनांक 27 से 14 दिन बाद की दिनांक तक
माप की दिनांक	17, 18	2, 3	19, 20	4, 5	21, 22	6, 7	23, 24	8, 9	25, 26	10, 11	27, 28	12, 13

JTA सं. 2 हेतु ब्लॉक मुख्यालय हेतु दिनांक 1,14,15,16,29,30,31

JTA- 3	GP-14		GP-15		GP-16		GP-17		GP-18		GP-19		GP-20	
पखवाडा प्रारम्भ होने की दिनांक	3	18	5	20	7	22	9	24	11	26	13	28	2	17
पखवाडा अवधि	3–17	दिनांक 18 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	5–19	दिनांक 20 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	7–21 तक	दिनांक 22 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	9–23 तारीख तक	दिनांक 24 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	11–25 तक	दिनांक 26 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	13–27 तक	दिनांक 28 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	2–16 तक	दिनांक 28 से 14 दिन बाद की दिनांक तक
माप की दिनांक	18,19	3, 4	20, 21	5, 6	22, 23	7, 8	24, 25	9, 10	26, 27	11, 12	28, 29	13, 14	17	2

JTA सं. 3 हेतु ब्लॉक मुख्यालय हेतु दिनांक 1,15,16,30,31

JTA- 4	GP-21		GP-22		GP-23		GP-24		GP-25		GP-26		GP-27	
पखवाडा प्रारम्भ होने की दिनांक	4	19	6	21	8	23	10	25	12	27	14	29	13	28
पखवाडा अवधि	4–18	दिनांक 19 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	6–20	दिना 21 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	8–22 तक	दिनांक 23 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	10–24 तारीख तक	दिनांक 25 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	12–26 तक	दिनांक 27 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	14–28 तक	दिनांक 29 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	13–27 तक	दिनांक 28 से 14 दिन बाद की दिनांक तक
माप की दिनांक	19,20	4,5	21,22	6, 7	23, 24	8, 9	25, 26	10, 11	27	12	29, 30	14, 15	28	13

JTA सं. 4 हेतु ब्लॉक मुख्यालय हेतु दिनांक 1,2,3,16,17,18,31

JTA- 5	GP-28		GP-29		GP-30		GP-31		GP-32		GP-33		GP-34	
पखवाड़ा प्रारम्भ होने की दिनांक	5	20	7	22	9	24	11	26	13	28	1	16	3	18
पखवाड़ा अवधि	5–19	दिनांक 20–14 दिन बाद की दिनांक तक	7–21	दिनांक 22 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	9–23 तक	दिनांक 24 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	11- 25 तारीख तक	दिनांक 26 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	13–27 तक	दिनांक 28 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	1–15 तक	दिनांक 16 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	3–17 तक	दिनांक 18 से 14 दिन बाद की दिनांक तक
माप की दिनांक	20,21	5, 6	22, 23	7, 8	24, 25	9, 10	26, 27	11, 12	28, 29	13, 14	16, 17	1, 2	18, 19	3, 4

JTA सं. 5 हेतु ब्लॉक मुख्यालय हेतु दिनांक 15,30,31

JTA- 6	GP-35		GP-36		GP-37		GP-38		GP-39		GP-40		GP-41	
पखवाड़ा प्रारम्भ होने की दिनांक	6	21	8	23	10	25	12	27	14	29	16	1	2	17
पखवाड़ा अवधि	6–20	दिनांक 21 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	8–22	दिनांक 23 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	10–24 तक	दिनांक 25 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	12–26 तारीख तक	दिनांक 27 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	14–28 तक	दिनांक 29 से 14 दिन बाद की दिनांक तक	16–31 तक	दिनांक 1 से 15 दिन बाद की दिनांक तक	2–16 तक	दिनांक 17 से 14 दिन बाद की दिनांक तक
माप की दिनांक	21,22	6, 7	23,24	8, 9	25, 26	10, 11	27, 28	12, 13	29, 30	14, 15	1	16	17, 18	2, 3

JTA सं. 6 हेतु ब्लॉक मुख्यालय हेतु दिनांक 4,5,19,20,31

विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी,
पंचायत समिति

परिशिष्ट–2

दिनांकवार ग्राम पंचायत को जारी होने वाली मस्टररोल का विवरण
(माह मार्च 2010 से लागू)

पंचायत समिति का नाम .... कुल ग्राम पंचायतें– 41 (काल्पनिक संख्या)

दिनांक	ग्राम पंचायत का नाम जिस हेतु मस्टररोल जारी होंगे		
1	GP - 1	GP - 33	GP - 40
2	GP - 8	GP - 20	GP - 41
3	GP - 14	GP - 34	GP - 2
4	GP - 9	GP - 21	GP - 7
5	GP - 3	GP - 15	GP - 28
6	GP - 35	GP - 10	GP - 22
7	GP - 4	GP - 16	GP - 29
8	GP - 11	GP - 23	GP - 36
9	GP - 5	GP - 17	GP - 30
10	GP - 12	GP - 24	GP - 37
11	GP - 6	GP - 18	GP - 31
12	GP - 13	GP - 25	GP - 38
13	GP - 19	GP - 27	GP - 32
14	GP - 26	GP - 39	-
15	-	-	-
16	GP - 1	GP - 33	GP - 40
17	GP - 8	GP - 20	GP - 41
18	GP - 14	GP - 34	GP - 02
19	GP - 9	GP - 21	GP - 07
20	GP - 15	GP - 28	GP - 03
21	GP - 10	GP - 22	GP - 35
22	GP - 4	GP - 16	GP - 29
23	GP - 11	GP - 23	GP - 36
24	GP - 5	GP - 17	GP - 30
25	GP - 12	GP - 24	GP - 37
26	GP - 6	GP - 18	GP - 31
27	GP - 13	GP - 25	GP - 38
28	GP - 19	GP - 27	GP - 32
29	GP - 26	GP - 39	-
30	-	-	-
31	-	-	-

विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी,
पंचायत समिति